दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दरें बढ़ाई हैं। इस वृद्धि के बाद दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी दरें सभी अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है। न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली बार लगभग 23 वर्ष पूर्व 1994 में बढ़ोत्तरी की गई थी। वर्ष 1994 के बाद न्यूनतम मजदूरी में उपभोक्ता सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर साल में दो बार सिर्फ महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की जाती रही है।

दिल्ली सरकार दिल्ली के संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों द्वारा अपने परिवारों का भरण-पोषण करने तथा अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु आ रही समस्याओं के लिए संवेदनशील रही है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए मजदूर यूनियन व अन्य सामाजिक संस्थाएं समय-समय पर मांग करती रही हैं।

इन्हीं समस्याओं का ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाने का निर्णय लिया था ।

न्यूनतम मजूदरी अधिनियम 1948 की धारा 3 (b) में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वारा प्रत्येक 5 साल में न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया जाएगा। न्यूनतम मजूदरी अधिनियम 1948 की धारा 5 के तहत सरकार ने मजदूरी की दर को संशोधित करने के लिए 12 अप्रैल 2016 एक सलाहकार समिति का गठन किया और अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के मध्य कमेटी की 5 मीटिंग हुई और 22 अगस्त को कमेटी की सिफारिशों को माननीय उपराज्यपाल महोदय के पास स्वीकृति हेतु भेजा गया। 2 सितम्बर 2016 को माननीय उपराज्यपाल ने यह प्रस्ताव लौटा दिया।

तत्पश्चात, न्यूनतम मजदूरी की दर को संशोधित करने के लिए माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक त्रिपक्षीय कमेटी का गठन 15 सितम्बर 2016 को किया गया। इस कमेटी की 9 मीटिंग हुई और कमेटी ने एक वैज्ञानिक आधार पर (1)अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1957 द्वारा निर्धारित मापदंडों और (2)रेप्टाकॉस ब्रैट एंड कंपनी के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर

न्यूनतम मजदूरी संशोधित करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई। इसके लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद द्वारा निर्धारित मापदंडों को आधार बनाया गया और भोजन में 2731 कैलोरी की आवश्यकता के आधार पर गणना की गई । सातवें वेतन आयोग ने भी 2700 कैलोरी को अपना आधार बनाया था।

कमेटी की दो टीमों (कामगार यूनियनों एवं नियोक्ताओं के प्रतिनिधि)ने स्वतंत्र रूप से मार्केट सर्वे किया और खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं के मूल्यों के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की गणना की। दोनों कमेटियों द्वारा न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरों में काफी अंतर था। इस लिए श्रम विभाग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर (1) खाद्य पदार्थों, (2) कपड़ा, (3) आवास, (4) प्रकाश एवं ईंधन और (5) शिक्षा पर होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि निर्धारित की।खाद्य पदार्थों के लिए दरों का आधार केन्द्रीय भंडार को और कपड़े के लिए दरों का आधार खादी ग्रामोद्योग को बनाया गया।

इन संशोधित दरों पर प्रजातांत्रिक रूप से कमेटी सदस्यों द्वारा वोटिंग कराई गई और बहुमत से मजदूरी की निम्नलिखित दरों को माना और सरकार को सिफारिश की गई:-

श्रेणी	पहले मिलने वाली मजदूरी	बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी
अकुशल श्रमिक (रू. प्रति माह)	9,724/-	13,350/- (513/-रू प्रतिदिन)
अर्द्धकुशल श्रमिक (रू. प्रति माह)	10,764/-	14,698/- (565/-रू प्रतिदिन)
कुशल श्रमिक (रू. प्रति माह)	11,830/-	16,182/- (622/-रू प्रतिदिन)

नॉन मैट्रीकुलेशन	10,764/-	14,698/- (565/-रू प्रतिदिन)
मैट्रीकुलेशन	11,830/-	16,182/- (622/-रू प्रतिदिन)
स्नातक और उससे उपर (रू. प्रति माह)	12, 870/-	17,604/- (677/-रू प्रतिदिन)

इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते में निम्न आधार पर पहले के ही तरह वृद्धि की जाएगी:-

1.अकुशल श्रमिक – प्रत्येक प्वांइट पर रू. 1.35
2.अर्द्धकुशल श्रमिक – प्रत्येक प्वांइट पर रू. 1.50
3.कुशल श्रमिक – प्रत्येक प्वांइट पर रू. 1.65
4.स्नातक और उससे उपर – प्रत्येक प्वांइट पर रू. 1.85

महंगाई भत्ते की अगली किश्तें क्रमश: 1/4/2017 तथा 1/10/2017 से देय होगी।

कमेटी की सिफारिशों को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने 25/02/2017 को स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात महामहिम उपराज्यपाल ने कल (2/03/2017) बढी हुई न्यूनतम मजदूरी दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी। बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित होने के बाद से तुरंत प्रभावी होगी।

दिल्ली सरकार न्यूनतम मजदूरी की बढ़ी हुई दरों के बारे में मजदूरों और नियोक्ताओं के लिए तीन माह तक का जागरूकता अभियान चलाएगी। सरकार इसके लिए प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया की भी सहायता लेगी। इसके पश्चात बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की दरें सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग द्वारा एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है जो औचक निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करेगी की मजदूरों को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी मिल सके।